

दिया गया है कि नगर पंचायत उपरीक्त
वाढ कालबाधित हो रहा है। यह कि समय
पत्र में शक्ति गंगे होने की सभातना वनी
हुई है। जिससे शक्ति सतलया वनाउ रस्तने
के रिच तीन माह की समयावधि-वर्तने
की मांग की गई है।

आगत प्रभाती एवं C-I. प्रुड के
आगत समय पत्र में शक्ति गंगे संबंधी
संबंधी कोई प्रतिवेदन न्यायालय की आगत
नहीं है। अतः प्रथम पत्र के आवेदन को
अस्वीकृत किया जाता है दिनांक 07-
05-18 को उखे।

21/5/18

07-05-18

21-05-18

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पत्र
अनुपस्थित दिनांक पत्र क्रमांक 01 उपस्थित
क्रमांक 02 अनुपस्थित। उक्त वाढ में 6 (छः)
माह की अवधि पूरी हो चुकी है। अतः
वाढ कालबाधित हो गया है। अतः वाढ में
अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।

21/5/18